


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]
No. 8]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2013/ज्येष्ठ 17, 1935
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2013/JYAISTHA 17, 1935

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2013

सं. 14/27/2012-ईसी.—दिनांक 9 मई, 2013 को आयोजित की गई बैठक में मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) को निम्नलिखित मार्गनिर्देशों के अनुसार एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है :

- (क) एनएसडीए प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (पीएमएनसीएसडी), राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड (एनएसडीसीबी) तथा कौशल विकास के संबंध में प्रधानमंत्री के सलाहकार के कार्यालय को शामिल करेगी।
 - (ख) एनएसडीए 12वीं योजना तथा उसके बाद के सरकारी तथा निजी क्षेत्र के कौशल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौशल संबंधी प्रयासों को समन्वित तथा सुमेलित करेगा तथा (i) यह सुनिश्चित करके कि वंचित तथा हाशिए पर पड़े समूहों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा विकलांग व्यक्तियों की कौशल संबंधी आवश्यकताओं का कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए ध्यान रखा गया है, (ii) एनएसडीए द्वारा सहायता के अंतर्गत निश्चित कार्रवाई करके सामाजिक, क्षेत्रीय, लैंगिक तथा आर्थिक भेद समाप्त करने का प्रयास करेगा।
 - (ग) केंद्रीय मंत्रालय तथा एनएसडीसी अपने क्षेत्र में योजनाओं के कार्यान्वयन को जारी रखेंगे।
 - (घ) एनएसडीए राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) को स्थिर करेगा तथा पहले से विद्यमान पेशेवर प्रमाणन निकायों के अलावा पेशेवर प्रमाणन निकायों की स्थापना को सुसाध्य बनाएगा।
2. एनएसडीए निम्नलिखित कार्य करेगा:
- i. कौशल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा जिनकी परिकल्पना 12वीं पंचवर्षीय योजना तथा उसके बाद की गई है;

- ii. विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा एनएसडीसी तथा निजी क्षेत्र के बीच कौशल विकास की पहुंच को समन्वित तथा सुमेलित करेगा;
 - iii. यह सुनिश्चित करने के लिए कि गुणवत्ता और मानक क्षेत्र विशिष्ट जरूरतों को पूरा करते हैं, एनएसक्यूएफ को स्थिर करेगा और प्रचलित करेगा;
 - iv. राज्यों के कौशल विकास मिशनों के लिए नोडल एजेंसी होगा;
 - v. विभिन्न स्रोतों जैसे बहुपक्षीय एजेंसियों सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा निजी क्षेत्र से कौशल विकास के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को जुटाएगा;
 - vi. विद्यमान कौशल विकास योजनाओं का मूल्यांकन करेगा ताकि उनकी क्षमता का आकलन किया जा सके तथा उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए सही कार्रवाई सुझाएगा;
 - vii. कौशल विकास के संबंध में राष्ट्रीय डाटाबेस सृजित और अनुरक्षित करेगा जिसमें गतिशील श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) का विकास शामिल है;
 - viii. सहायता के लिए सकारात्मक कार्रवाई करना।
 - ix. यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों जैसे वंचित और हाशिए पर बैठे समूहों की कौशल संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा जाए; और
 - x. कोई अन्य कार्य करना जो भारत सरकार द्वारा इसे सौंपा जाए।
3. एनएसडीए एक स्वायत्त निकाय होगा जिसके अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के रैंक और स्तर के व्यक्ति होंगे और उनकी सहायता महानिदेशक (अपर सचिव रैंक के अधिकारी) और यथावश्यक अधिकारियों एवं अन्य सहायक स्टाफ द्वारा की जाएगी। अतिरिक्त अधिकारियों एवं स्टाफ की स्वीकृति दी जाएगी और इन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जब कभी जरूरत होगी, शामिल किया जाएगा।
 4. कौशल विकास संबंधी प्रधानमंत्री के सलाहकार का वर्तमान कार्यालय अपनी विद्यमान मानवशक्ति और स्वीकृत स्टाफ के साथ एनएसडीए में स्थानांतरित हो जाएगा और इसके स्टाफ रचना के लिए केंद्र का काम करेगा। विद्यमान मानवशक्ति एनएसडीए में उन्हीं/तदनु रूप पदों पर चले जाएंगे जो वे इस समय कौशल विकास संबंधी प्रधानमंत्री के सलाहकार के कार्यालय में वर्तमान में धारित किए हुए हैं।
 5. आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय संभारतंत्र, योजना बनाने और बजटीय सहायता के लिए एनएसडीए हेतु नोडल विभाग होगा।
 6. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी।

शर्मिला चावलि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2013

No.14/27/2012-EC.—In pursuance of the decision of the Cabinet in its meeting held on 9th May, 2013 the National Skill Development Agency (NSDA) is hereby notified as per the following guidelines:

- (a) The NSDA will subsume the Prime Minister's National Council on Skill Development (PMNCSD), the National Skill Development Coordination Board (NSDCB) and the Office of the Adviser to PM on Skill Development.
- (b) The NSDA will coordinate and harmonize the skill development efforts of the Government and the private sector to achieve the skilling targets of the 12th Plan and beyond and endeavour to bridge the social, regional, gender and

- economic divide (i) by ensuring that the skilling needs of the disadvantaged and marginalized groups like SCs, STs, OBCs, minorities, women and differently—abled persons are taken care of through the various skill development programmes and (ii) by taking affirmative action as part of advocacy by the NSDA.
- (c) The Central Ministries and NSDC will continue to implement schemes in their remit.
- (d) The NSDA will anchor the National Skills Qualifications Framework (NSQF) and facilitate the setting up of professional certifying bodies in addition to the existing ones.
2. The NSDA will discharge the following functions:
- Take all possible steps to meet skilling targets as envisaged in the 12th Five Year Plan and beyond;
 - Coordinate and harmonize the approach to skill development among various Central Ministries/Departments, State Governments, and NSDC and the private sector;
 - Anchor and operationalize the NSQF to ensure that quality and standards meet sector specific requirements;
 - Be the nodal agency for State Skill Development Missions;
 - Raise extra-budgetary resources for skill development from various sources such as international agencies, including multilateral agencies, and the private sector;
 - Evaluate existing skill development schemes with a view to assessing their efficacy and suggest corrective action to make them more effective;
 - Create and maintain a national data base related to skill development including development of a dynamic Labour Market Information System (LMIS);
 - Take affirmative action for advocacy;
 - Ensure that the skilling needs of the disadvantaged and the marginalized groups like SCs, STs, OBCs, Minorities, Women and differently-abled persons are taken care of; and
 - Discharge any other function as may be assigned to it by the Government of India.
3. NSDA will be an autonomous body chaired by a person of the rank and status of a Cabinet Minister, supported by a Director General (officer of the rank of Additional Secretary) and such officers and other support staff as may be required. Additional officers and staff shall be sanctioned and inducted as and when required in accordance with the prescribed procedure.
4. The current office of the Adviser to the Prime Minister on Skill Development with its existing manpower and sanctioned strength shall stand transferred to and form the nucleus for staffing the NSDA. The existing manpower would move to the same/corresponding positions in the NSDA which they are currently holding in the O/o the Adviser to the PM on Skill Development.
5. Department of Economic Affairs, Ministry of Finance shall be the Nodal Department for the NSDA for providing logistics, planning and budgetary support.
6. This notification will come into force with immediate effect.

SHARMILA CHAVALY, Jt. Secy.